दिनांक: 04.03.2026

-प्रेस नोट-

थाना देवबंद पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गौकशी के मुकदमें में 01 वांछित गौकश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 खोखा/01 जिन्दा कारतूस .315 बोर एंव 01 मोटरसाइकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, पशु चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 03.03.2026 की रात्रि को थाना देवबंद पुलिस टीम द्वारा ग्राम अकबरपुर गढ़ी रजवाहे पुलिया के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी तभी इन्द्रपुर गढ़ी की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा संदिग्धों को टार्च की रोशनी दिखाकर रुकने का इशारा किया गया। पुलिस टीम को देखकर संदिग्ध मोटरसाइकिल मोड़कर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर वापस हाशिमुपरा रजवाहे पुलिया की तरफ जाने वाले रास्ते पर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तो कुछ दूरी पर जाकर बदमाशों की मोटरसाइकिल फिसल कर गिर गयी। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख बदमाशों ने पुनः पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान **आशु उर्फ आश मौहम्मद पुत्र ताहसीन उर्फ बुद्धु निवासी ग्राम फुलास अकबरपुर थाना देवबन्द सहारनपुर** के रूप में हुई। एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। फरार अभियुक्त की तलाश हेतु लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल/गिरफ्तार बदमाश थाना देवबंद पर पंजीकृत मु0अ0स0 154/2026 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट का वांछित अभियुक्त है, जिसके विरुद्ध जनपद मुजफ्फरनगर व सहारनपुर के विभिन्न थानों में मारपीट, एनडीपीएस व गौकशी के तीन मुकदमें पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना देवबंद पर मु0अ0स0 157/2026 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार घायल/ बदमाश के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशु उर्फ आश मौहम्मद पुत्र ताहसीन उर्फ बुद्धु निवासी ग्राम फुलास अकबरपुर थाना देवबन्द सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण -

- 01 तमंचा .315 बोर
- 01 जिन्दा/02 खोखा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटर साइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 190/2025 धारा 191(2)/193(3)/115(2)/351(2)/331(5) भादवि थाना भोपा मुजफ्फरनगर ।
2. मु0अ0सं0 117/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना देवबन्द सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 154/2026 धारा 3/5/8 गौवध अधि० थाना देवबन्द सहारनपुर ।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री अजब सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर।

2. उ0नि0 श्री रविन्द्र कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।

3. उ0नि0 श्री देवेन्द्र भाटी थाना देवबन्द सहारनपुर।

4. है0का0 561 शमीम थाना देवबन्द सहारनपुर।

5. है0का0 1216 ब्रहमप्रकाश थाना देवबन्द सहारनपुर।

6. का0 16 पवन सिरोही थाना देवबन्द सहारनपुर।

7. है0का0 1124 राहुल थाना देवबन्द सहारनपुर।

8. है0का0 1319 अनुज थाना देवबन्द सहारनपुर।

9. का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द सहारनपुर।

दिनांक: **04.03.2026**

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दुष्कर्म के मुकदमें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 26.12.2025 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मेहरचन्द पुत्र मंगल निवासी ग्राम लखनौती खुर्द थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया को बारबार धमकी देकर दुष्कर्म करना व वीडियो वायरल करने के सम्बंध मे थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 687/25 धारा 64(2)एम/351(3)/333/75(2) बीएनएस व 67(ए) आईटी एक्ट मे पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाछित अभियुक्त गणो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 04.03.2026 को वाछित अभियुक्त **मेहरचन्द पुत्र मंगल निवासी ग्राम लखनौती खुर्द थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर** को लखनौती अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. मेहरचन्द पुत्र मंगल निवासी ग्राम लखनौती खुर्द थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
2. है0का0 275 सचिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।
3. हो0गा0 1411 विरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक- 04.03.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित 25000/- रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त फार्चूनर कार बरामद-

अवगत कराना है कि दिनांक 08.02.2026 को वादी मुकदमा श्री प्रदीप राणा पुत्र राज सिंह राणा निवासी साधारण सिर थाना नांगल जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.सुनील वर्मा पुत्र प्रेमचन्द निवासी मकान नं0 63,लेन नं0 4,सेवला कला दून एन्कलेव कालोनी थाना पटेल नगर जिला देहरादून 2.शक्ति ठाकुर पुत्र ब्रहमदीन निवासी ट्रांसपोर्ट नगर थाना पटेल नगर जिला देहरादून 3.विक्रान्त ठाकुर पुत्र ब्रहमदीन निवासी ट्रांसपोर्ट नगर थाना पटेल नगर जिला देहरादून 4.विकास उर्फ विक्की राणा पुत्र स्व0 पीतम सिंह निवासी रणखन्डी थाना देवबन्द जिला सहारनपुर 5.कुछ व्यक्ति नाम पता अज्ञात के द्वारा एक राय होकर फार्म हाउस पर आकर जान से मारने की नियत से फायरिंग करना जिसमें शिवम राणा पुत्र प्रदीप राणा निवासी साधारण सिर थाना नांगल जनपद सहारनपुर, मनीष पुत्र वेदपाल निवासी गणेशपुर थाना बिहारीगढ़ व योगेन्द्र पुत्र राजपाल निवासी बिनौली रोड वर्धा ज्योति कालोनी बड़ौत बागपत को गोली लग जाने से गम्भीर रूप से घायल हो जाना तथा दौराने उपचार शिवम राणा की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 26/2026 धारा 103(1)/333/109(1)/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना के तत्काल संज्ञान लेकर फरार अभियुक्तगण की गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष अक्षय शर्मा के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.03.26 को **नामजद/वांछित/ईनामीअभियुक्त शक्ति सिंह ठाकुर पुत्र ब्रहमदीन निवासी नया गांव सेवला कला निकट दुर्गा मन्दिर मोहब्बे वाला थाना पटेल नगर जनपद देहरादून मूल निवासी ग्राम कटसारी थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर** को गणेशपुर से मोहण्ड की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित वन विभाग की चैक पोस्ट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक फार्चूनर गाड़ी बिना नम्बर बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण –गिरफ्तार अभियुक्त शक्ति सिंह ने पूछताछ करने पर बताया कि सुनील वर्मा पुत्र प्रेमचन्द निवासी मकान नं0 63, लेन नं0 4, सेवला कला दून एन्कलेव कालोनी थाना पटेल नगर जिला देहरादून व पंकज शर्मा पुत्र स्व0 राकेश शर्मा निवासी जीएस 149 मालिबू टाउन गुडगांव हरियाणा का आपस में प्लाटिंग के पैसो एवं शिवालिक में दो वीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में बात चीत करने के लिये दोनो पक्ष के लोग दिनांक 08.02.2026 को पंकज शर्मा की किराये की काटेज पर आये थे। मैं भी अपने भाई विक्रान्त ठाकुर के साथ सुनील वर्मा के कहने पर वहां पर गया था। बात चीत के दौरान दोनो पक्षो की आपस में गर्मा गर्मी हो गयी तो सुनील वर्मा के साथ मैने, मेरे भाई विक्रान्त ठाकुर, अजय राणा, विक्की उर्फ विकास राणा, सलमान व अन्य लोगो ने पंकज शर्मा पक्ष पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी थी। जिसमें शिवम राणा एवं दो अन्य गोली लगने से घायल हो गये थे। गोली बारी करने के बाद हम वहां से भाग गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1. शक्ति ठाकुर पुत्र ब्रहमदीन निवासी ट्रांसपोर्ट नगर थाना पटेल नगर जिला देहरादून मूल निवासी ग्राम कटसारी थाना कादीपुर जिला सुल्तानपुर

बरामदगी का विवरण –

- 01 फार्चूनर गाड़ी बिना नम्बर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 311/23 धारा 147, 148, 323, 307 भादवि थाना पटेलनगर देहरादून
2. मु0अ0सं0 26/26 धारा 103(1)/333/109(1)/3(5) बीएनएस थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री अक्षय शर्मा थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुरेन्द्र सिंह थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
3. हैड का0 1246 अमित कुमार थाना बिहारीगढ़ सहारनपुर
4. हैड का0 1273 रोहित तेवतिया थाना बिहारीढ़ सहारनपुर
5. का0 328 गगन थाना बिहारीगढ सहारनपुर